अनुदान संख्या 66 – अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
GRANT No. 66–MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	1631,50,00	1598,44,58	–33,05,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			31,50,25
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted–	125,00,00	125,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	16271.00	15660.20	15517.91	–142.29
पु.	R.	–610.80			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	1810.00	956.42	956.42	. .
पु.	R.	–853.58			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	15000.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–15000.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	127187.00		141510.67	141506.66	–4.01
पु.	R.	14323.67				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	1382.00		561.81	561.80	–0.01
पु.	R.	–820.19				

(I) 15768.00 लाख रु. का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 15480.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम - अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की स्कीम" - 710.00 लाख रु. स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - स्वैच्छिक संगठनों

(I) Provision of Rs.15768.00 lakhs remained wholly unutilised under nineteen heads; of these Rs.15480.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" – "Social Welfare - Other Programmes - Scheme for Leadership Development of Minority Women" – Rs.710.00 lakhs – due to non-implementation of the scheme.

(B) Major Head "2552" –

(a) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Aid to Voluntary Organisations –

को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए निशुल्क कोचिंग और सहबद्ध स्कीम'' - 120.00 लाख रु.;

(ख) ''सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य व्यय'' -

(का) ''अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता और साधन आधारित छात्रवृत्ति'' - 1000.00 लाख रु.;

(खा) ''अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' - 10000.00 लाख रु.;

(गा) ''अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति'' - 2000.00 लाख रु.;

(घा) ''अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' - 1500.00 लाख रु.; और

(ङ) ''अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति'' - 150.00 लाख रु.।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''सामान्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''स्कीमों का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं मूल्यांकन'' - 224.06 लाख रु. की बचत (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों के कार्यान्वयन में विलंब होने और मूल्यांकन/निगरानी न होने के कारण हुई।

(खा) ''अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' - 848.96 लाख रु. की बचत (850.00 लाख रु. के स्वीकृत

Free Coaching and Allied Scheme for Minorities" – Rs.120.00 lakhs;

(b) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Other Expenditure" –

(A) "Merit-cum-Means based Scholarship for professional and technical courses for Minorities" – Rs.1000.00 lakhs;

(B) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – Rs.10000.00 lakhs;

(C) "Pre-Matric scholarship for Minorities" – Rs.2000.00 lakhs;

(D) "Post-Matric scholarship for Minorities" – Rs.1500.00 lakhs; and

(E) "National fellowship for students from the Minority Communities" – Rs.150.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2225" – "General – Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Research/studies, monitoring and evaluation of schemes" – saving of Rs.224.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs) was due to delay in implementation and non-evaluation/ monitoring of some schemes.

(B) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – saving of Rs.848.96 lakhs

प्रावधान की तुलना में) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of Rs.850.00 lakhs) was due to non-receipt of revised proposals from Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

(III) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान'' - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – General – (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) – Other Grants" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' - 645.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार से प्रस्ताव विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – saving of Rs.645.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to late receipt of proposals from Government of National Capital Territory of Delhi.

(खा) ''अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' - 144.85 लाख रु. की बचत (191.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Post-Matric scholarship for Minorities" – saving of Rs.144.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.191.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territory Administrations.

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत 268.27 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 100.00 लाख रु. कम और स्कीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक अधिक थीं।

(IV) Under three heads savings of Rs.268.27 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 15 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''सामान्य - अन्य व्यय'' -

(I) Major Head "2225" – "General – Other Expenditure" –

(का) ''अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान'' - 151.54 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रचार और मीडिया अभियान और चालू नई स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Media Campaign for Minorities" – excess of Rs.151.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards publicity and media campaign and ongoing new Schemes/ Programmes.

(खा) ''अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति'' - 150.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1340.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) "National Fellowship for Students from Minority Communities" – excess of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1340.00 lakhs);

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण) - अन्य अनुदान" -

(II) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Other Grants" –

(का) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यवसायिक और तकनीकी पाठयक्रमों के लिए योग्यता और साधन आधारित छात्रवृत्ति" - 782.47 लाख रु. का अधिक व्यय (8875.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) "Merit-cum-Means based Scholarship for professional and technical courses for Minorities" – excess of Rs.782.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8875.00 lakhs);

(खा) "अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - 9737.91 लाख रु. का अधिक व्यय (87300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) "Multi Sectoral Development Programme for Minorities" – excess of Rs.9737.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.87300.00 lakhs);

(गा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - 2294.13 लाख रु. का अधिक व्यय (17699.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(C) "Pre-Matric Scholarship for Minorities" – excess of Rs.2294.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17699.00 lakhs); and

(घा) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - 1539.15 लाख रु. का अधिक व्यय (13279.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(D) "Post-Matric Scholarship for Minorities" – excess of Rs.1539.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13279.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	11250.00	12500.00	12500.00	. .
पु.	R.	1250.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1250.00			
			..	..	..
पु.	R.	–1250.00			

(I) 1250.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552'' - "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1250.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major head "4552" – "General - (Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes)– Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Minorities Development and Finance Corporation" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225'' - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - 1250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (11250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) The above savings were offset by excess under Major Head "4225" – "General – Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Minorities Development and Finance Corporation" – excess of Rs.1250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11250.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.